Golden Crescent and the Golden Triangle and is vulnerable to trafficking of drug originating in these regions. This is what the reply says. When the hon. Minister says that the Golden Triangle does not affect India it is contrary to what was said in his reply as read out by me.

My second supplementary is a very short one, Madam. Is the Government holding regular high-level discussions and review meetings with the countries of the Golden Triangle and the Golden Crescent so as to resolve this problem and if so, with what results?

SHRI P. CHIDAMBARAM: I am sorry I could not get it.

SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: I will repeat it. Are the Government holding regular high-level discussions and review meetings with the countries of the Golden Triangle and the Golden Crescent so as to resolve this matter?

SHRI P. CHIDAMBARAM: The answer is 'yes'. And the answer to the other hon. Member's question is, in a recent case, the death sentence has been awarded.

डा० (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल: मैडम, मैं पूछना चाहती हूं कि यह जो नारकोटिक्स ड्रग का ट्रेफिकिंग होता है, इंटरनेशनल एजेंसी इसमें काम कर रही है, क्या इन इंटरनेशनल एजेंसी को कम्बेट करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीटयूशन्स का और दूसरी एजेंसियों का उपयोग करके उसको रोकने के लिए हम कुछ कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्या स्टैप लिए गए हैं और उनका सपोर्ट कैसा रहा है, मैं जानना चाहती हूं?

SHRI P. CHIDAMBARAM: Madam, India is a very active player in international agencies. In fact, I say, with some sense of pride, that over the years, not only last year, but over the last four or five years, India's role in drug-traffic control has been very widely and warmly applauded in international fora. In fact, the United States publishes a well-known report every year. And India has been certified as one of the countries with the best drug-traffic control enforcement mechanisms. We are members of the international forums. In fact, India has been elected as a rapporteur in one of the fora. We play a very active role. Meetings take place, if I recall, once in about three months to six months. High-level officials visit these countries. In fact, I constantly send a number of officers to update themselves on what is going on in the world in order to update our equipment, our methods of investigation, etc. We are recognised as one of the most active and effective players in the world forum today.

THE DEPUTY CHAIRMAN: question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को ऋण प्रदान किया जाना

*181. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1997 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को राज्य-वार ऋण की कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई;

(ख)* वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य-वार दी गई ऋण की राशि तथा उन ऋणों की वसूली की मात्रा कितनी है;

(ग) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उनके द्वारा लिये गये ऋण की राज्य-वार कितनी राशि बट्टे खाते डाली गई एवं इस संबंध में अन्य प्रकार की छूट दी गई, और;

(घ) ऋणों को बट्टे खाते डालने और ऋणों में छूट देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा गत दो वर्षों के दौरान किये गये अनुरोधों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी॰ चिदम्बरम): (क) और (ख)

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं॰	राज्य	31.03.1997 को बकाया ऋण	1995-96 1996-97 के दौरान जारी ऋण		1995-96 1996-97 के दौरान वसूल किए गए ऋण (अर्थात् मूलधन)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	10,340.77	1,469.72	1,267.94	284.11	326.55
2.	अरूणांचल प्रदेश	229.94	92.97	41.93	6.06	7.36
3.	असम	3,644.50	407.71	434.11	169.86	306.71
4.	बिहार	9,487.22	1,150.73	1,324.70	326.64	374.25
5.	गोवा	799.96	60.74	70.05	21.59	25.84
6.	गुजरात	9,839.37	1,299.98	1,533.63	275.39	324.71
7.	हरियाणा	3,517.96	802.86	497.22	90.53	206.90
8.	हिमाचल प्रदेश	1,660.25	178.98	330.21	34.11	40.44
9.	जम्मू और कश्मीर	2,849.50	221.26	461.42	142.89	151.90
10.	कर्नाटक	6,712.51	799.97	986.58	187.07	209.94
11.	केरल	4.550.07	651.05	533.00	139.25	158.51
12.	मध्य प्रदेश	6,390.73	773.32	985.14	226.60	258.31
13.	महाराष्ट्र	15,854.42	1,886.01	2,978.51	457.02	533.61
14.	मणीपुर	204.76	20.26	34.83	8.70	8.09
15.	मेघालय	234.23	21.30	27.10	7.83	9.36
16.	मिजोरम	149.69	25.26	28.29	3.64	4.80
17.	नागालैण्ड	249.83	25.00	32.96	9.89	10.16
18.	उड़ीसा	4,666.23	653.91	637.97	146.69	173.63
19.	पंजाब	10,642.41	785.61	1,441.79	123.07	322.21
20.	राजस्थान	6,994.12	1,014.56	1,120.22	189.94	227.10
21.	सिक्किम	136.50	17.50	23.19	4.35	5.70
22.	तमिलनाडु	8,403.85	981.17	1,271.59	244.74	293.22
23.	त्रिपुरा	354.02	27.93	50.74	11.68	14.15
24.	उत्तर प्रदेश	21,096.97	2,741.05	2,985.98	593.97	709.30
25.	पश्चिम बंगाल	13,217.32	2,000.47	2,481.26	306.35	366.66
	जोड़:	1,42.227.13	18,109.32	21,580.36	4,011.97	5,069.91

(ग) 1995-96 एवं 1996-97 के दौरान दसवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को ऋणों में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं०	राज्य	1995-96	1996-97
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	13.07
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.24	0.74
3.	असम	2.46	2.94
4.	बिहार	5.93	19.16
5.	गोवा	—	1.06
6.	गुजरात	—	8.65
7.	हरियाणा	—	1.77
8.	हिमाचल परदेश	0.68	2.25
9.	जम्मू और कश्मीर	2.16	2.42
10.	कर्नाटक	—	7.72
11.	केरल	—	3.57
12.	मध्य प्रदेश	—	—
13.	महाराष्ट्र	—	6.06
14.	मणीपुर	0.17	8.54
15.	मेघालय	0.22	0.27
16.	मिजोरम	0.19	0.22
17.	नागालैण्ड	0.04	0.31
18.	उड़ीसा	3.04	3.06
19.	पंजाब	891.32	88.18
20.	राजस्थान	—	—
21.	सिक्किम	0.14	0.17
22.	तमिलनाडु	—	21.25
23.	त्रिपुरा	0.30	0.39
24.	उत्तर प्रदेश	12.66	17.12
25.	पश्चिम बंगाल	—	—
	जोड़:	919.75	201.22

*दसवें वित्त आयोग द्वारा की गई संस्तुति के अनुसार वर्ष में देय ऋण के मूलधन के पुनर्भुगतान का 1/3 भाग होने के नाते 88.07 करोड़ रुपए तथा ऋण की शेष (संबर्धन तथा ब्याज दोनों) होने के कारण 803.25 करोड़ रुपये सरकार द्वारा वर्ष के दौरान माफ किए गए।

(घ) पिछले दो वर्षों (1995-96 तथा 1996-97) के दौरान असम, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब तथा सिक्किम राज्य सरकारों ने ऋणों को बट्टे खाते में डालने / भुगतान की अवधि में छूट दिए जाने के संबंध में अनुरोध किए हैं।